


अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 28)

बनाम

वादी
जेते खां पुत्र भाई खां वगैरा
जाति मुसलमान निवासी खारडी
तहसील पंचपदरा व जिला बालोतरा

प्रतिवादी
आरब खां पुत्र बक्सु खां वगैरा
जाति मुसलमान निवासी खारडी
तहसील पंचपदरा व जिला बालोतरा
मुकदमा संख्या 206/2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.7.2024	<p>यह राजस्व आवेदन प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता श्री सुरेश नारायण खारवाल द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थी का आवेदन-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मददनेजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थी करेगा। प्रार्थी अधिवक्ता को विप्रार्थी के नोटिस की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-विप्रार्थी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 05.9.2024 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p> <p>05.9.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील सुनील कुमार खारवाल की ओर से आवेदन-पत्र विज्ञापन करने का पत्र पेश की गई। तहसील पर अहल रहने के कारण पत्रावली के कूलकाद स्तरीय हो गया है। ऐसी तहसील में प्रार्थी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार स्तरीय पर स्तरीय किया जा रहा है। पत्रावली के अहल रहने के कारण</p>	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

